



**सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)**

नवीनीकरण
संख्या:R/LUC/00947/2020-2021

पत्रावली संख्या:I-176346 दिनांक:2015-2016

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि राजकुमार एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, 9/70, बहार सहारा स्टेट, जानकीपुरम, लखनऊ, लखनऊ, 226021 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 183-2015-2016 दिनांक-24/04/2015 को दिनांक-23/04/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है। 1150 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



**Digitally Signed By
(VINAY KUMAR SRIVASTAVA)
572E833120B2128D9DAA66F36AED95A3DF6233DE**

Date: 17/06/2020 3:50:18 PM, Location: Lucknow.

जारी करने का दिनांक-17/06/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : राजकुमार एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी।
 2. संस्था का पता : 9/70, बहार सहारा स्टेट, जानकीपुरम, लखनऊ।
 3. संस्था का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
 4. संस्था का उद्देश्य :

1. जनसाधारण का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक व शैक्षिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास करना एवं लोगों में देश प्रेम एवं वैचारिक सामन्जस्य का विकास करना।
 2. ज्ञानवर्धन हितार्थ पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना एवं ज्ञान, कृषि एवं पशुपालन विज्ञान की जानकारी देना। एवं पत्र-पत्रिकाओं का निःशुल्क प्रकाशन करना।
 3. प्रौढ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रतियोगात्मक शिक्षा तथा लोगों को कम्प्यूटरीकृत शिक्षण, तकनीकी शिक्षण, इलेक्ट्रानिक शिक्षण, सम्बन्धी लोगों को निःशुल्क शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना।
 4. आधुनिक शिक्षा के प्रसार हेतु नर्सरी, प्राइमरी पाठशाला, स्कूल, कालेज, मदरसा, महाविद्यालय खोलना, मैनेजमेन्ट, मेडिकल, इन्जीनियरिंग, टेक्नीकल, सांस्कृतिक विद्यालय, प्रोफेशनल कालेजों की स्थापना व संचालन शासन की पूर्व अनुमति से करना।
 5. कम्प्यूटर शिक्षा, इंटरनेट शिक्षा, मिक्सिंग लैब, टाइप राइटिंग, शार्टहैण्ड रेफ्रिजरेशन व एअर कण्डिशन, इलेक्ट्रिशियन व आटो मैकेनिक ऐवियेशन आदि की शिक्षा व्यवस्था करना व फैंशन डिजाइनिंग, इंटरियर डिजाइनिंग, आधुनिक प्रचार माध्यमों आदि की रोजगारपरक निःशुल्क प्रशिक्षण देना।
 6. समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगोष्ठी, विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, योग कार्यक्रम, वाद-विवाद प्रतियोगिता जागरूकता शिविर, स्वास्थ्य शिविर, सामाजिक जागरूकता प्रदर्शनी एवं पल्स पोलियो प्रतिरक्षण शिविरों आदि का आयोजन करना।
 महिलाओं/बालिकाओं/युवाओं का सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, शिल्पकला, ललितकला, संगीत गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, ब्यूटीशियन, ब्यूटी पार्लर, मेंहदी कोर्स, नाटक, कवि गोष्ठियों तथा संस्कृति के विकास, फैंशन डिजाइनिंग, चिकन, जरी, डाल मेकिंग, पलावर मेकिंग, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिन्टिंग, आफसेट प्रिंटिंग, पेन्टिंग, वाल पेन्टिंग, खादी एवं हस्त शिल्पकला, मिट्टी के बर्तन एवं कलात्मक वस्तुओं का निर्माण आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वावलम्बन की भावना जागृत करना।
- अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ी जातियों एवं शोषित वर्ग तथा ग्रामीण बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार परक निःशुल्क शिक्षण एवं प्रशिक्षण अथवा उनके उत्थान एवं कल्याण हेतु कार्य करना एवं दहेज रहित सामूहिक विवाह समारोहों को प्रोत्साहन देना।
- पर्यावरण संरक्षण, नशामुक्ति, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य कल्याण, टीकाकरण, वृक्षारोपण, सामाजिक जाति, कुष्ठ उन्मूलन, दहेज उन्मूलन, हरियाली कार्यक्रम, जड़ी बूटी उगाना, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी का संग्रहण, प्रसंस्करण, कृषि विलुप्त प्रजातियों का प्रवर्धन तथा इससे आधारित सर्वे-सर्वेक्षण, सेमिनार, और गोष्ठी का आयोजन करना, प्रदूषण नियन्त्रण, ऊसर-बंजर भूमि सुधार, जल परीक्षण, जैविक तथा हर्बल खेती, बागवानी विकास, वैकल्पिक ऊर्जा विकास, सौर ऊर्जा एवं पशु-पक्षी, जीव-जन्तु संरक्षण, गौ संरक्षण, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, भूमि, कृषि, पशुपालन एवं जल प्रबन्धन, जल संचयन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गीपालन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं दुग्ध विकास आदि कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।
10. जनहितार्थ चिकित्सालय, अनाथालय, छात्रावास, व्यायामशाला, योगशाला, पौशाला, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम, शिशु पालन गृह, बालबाड़ी, आंगनबाड़ी, आदि की स्थापना करना।
 11. ग्रामीण स्वच्छता, शुद्ध पेयजल एवं जल व भूमि प्रबन्धन एवं कूड़ा प्रबन्धन कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार व संचालन करना एवं गौ संरक्षण हेतु गौशालाओं की स्थापना व प्रचार-प्रसार करना।
 12. दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, अग्निकांड, भूकम्प, ओलावृष्टि, तूफान आदि के समय पीड़ितों की हर सम्भव सहायता करना।

सत्य प्रतिज्ञाप

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फार्स सोसाइटीज तथा विट्स
लखनऊ, लखनऊ

- 2
13. परिवार कल्याण कार्यक्रम, टाइफाइड, टीकारण, पोलियों ड्राप, एस0टी0डी0, टी0बी0 हेपेटाइटिस बी, एच0 आई0 वी0 एड्स, चिकनपॉक्स, कैंसर, आदि जैसे भयंकर रोगों के निवारण हेतु एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर तथा फिजियोथेरेपी द्वारा निवारण एवं महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति जैसी कुरीतियों एवं सामाजिक दुष्प्रभावों का उन्मूलन निवारण हेतु शिविर कैम्पों के माध्यम से प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार करना तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ हो रहे दुर्व्यहार को रोकने का प्रयास करना तथा उन्हें स्वावलम्बी बनाने का प्रयास करना।
 14. समाज कल्याण विभाग उ0प्र0, केन्द्रीय एवं राज्य कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, अवाई, नाबार्ड, सिडवी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनी सेफ, डवाकरा, निपसिड, सिपसा, सैफ इंडिया, हेल्पेज इंडिया, राजीव फाउण्डेशन, नौराड, आक्सफेम इंडिया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, सर्वशिक्षा अभियान, पंचायती राज, मनेरेगा, केयर, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा, डूडा, डी0आर0डी0ए0, विश्व स्वास्थ्य संगठन, एन0एच0डी0सी0, अल्पसंख्यक विभाग उ0प्र0 एवं केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय उ0प्र0, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, विकलांग कल्याण निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास परियोजनाओं, विकलांग कल्याण कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।
 15. शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों की स्थापना व संचालन करना जिसमें प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था शासन के मानक के अनुसार करना एवं साइबर सुरक्षा का प्रचार प्रसार करना।
 16. समाज के विकलांगों, नेत्रहीनों, मजदूरों, बाल श्रमिक, महिला श्रमिक, कारीगरों, कृषकों, विधवाओं, मूक-बधिरों, वृद्धों अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अल्पसंख्यकों, दलितों तथा पिछड़ी जातियों के कल्याण हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार व संचालन करना।
 17. समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, अन्त्याक्षरी, खेलकूद, वाद-विवाद प्रतियोगिता, सड़क सुरक्षा, पेयजल, सुलभ शौचालय, विधिक जागरूकता, कार्यक्रम व केन्द्र की स्थापना, उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम केन्द्र की स्थापना व प्रचार-प्रसार करना।
 18. भाषा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा भाषाओं जैसे-हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, सिन्धी, बंगाली, साहित्यिक व सांस्कृतिक विकास एवं प्रचार प्रसार करना।
 19. विकलांग व्यक्तियों हेतु आवासीय विद्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र, छात्रावास, वोकेशनल इंस्टीट्यूट, कृत्रिम अंग निर्माण संचालित करने हेतु विभिन्न विभागों मंत्रालयों द्वारा संचालित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।
 20. अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों, दलितों एवं पिछड़ी जातियों के बच्चों एवं महिलाओं/पुरुषों के लिए बुटीक, ब्यूटी पार्लर, बुक बाइन्डिंग, कैंटीन प्रबन्ध, सामुदायिक स्वास्थ्य, कम्प्यूटर, खाद्य प्रसंस्करण, हेयर एवं स्किन केयर, हथकरघा, बुनाई, शहद उत्पादन, मशरूम खेती, डिमेडी इम्ब्राइडरी, स्क्रीन प्रिन्टिंग, साफ्ट ट्वाय मेकिंग, टाइप शार्टहेण्ड, जरी क्राफ्ट एवं टैग्स, पैच वर्क, हैण्डिक्राफ्ट, टाई एवं इम्ब्राइडरी, लेस मेकिंग, लेस हैण्डमेकिंग, मिनाई-कढ़ाई, प्रशिक्षण संस्था द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें आत्म विश्वास एवं स्वावलम्बी बनाने की भावना जागृत करना तथा उन्हें आदर्श व चरित्रवान नागरिक बनाना।
 21. बालक व बालिकाओं के सपनों को साकार करने में उनकी सहायता करना, कम लागत से मकान निर्माण का प्रशिक्षण देना व विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनके बौद्धिक विकास में सहायता करके मानसिक संतुष्टि प्रदान करना।
 22. समय-समय पर समाज के लोगों को स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के बारे में शिविर लगाकर उपयोगी जानकारी दिलाना एवं योग केन्द्र खोलकर लोगों को योगासन, प्राणायाम मुद्राएँ एवं क्रियाएँ आदि कराकर मन एकाग्रचित्त एवं तनाव रहित करना।
 23. नर्सरी तैयार करवाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण करवाना एवं जड़ी बूटी/औषधीय पौधों की खेती/उगाने व विकास हेतु लोगों को जागरूक करना।
 24. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड उ0प्र0, अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की प्रवृत्ति एवं पैटर्न के अनुसार ग्रामोद्योग की स्थापना व उनका प्रचार-प्रसार करना।

गौता

Jayash'

विश्व-5 शिवालय

Sanjiv Sankar

निर्माण



परिचय सहायक
कार्यालय शिक्षा सचिव
फ्लोर सीआईटीज तथा चिट्स
लखनऊ, भारत

-3-

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है।

क्रम सं०	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्रीमती गीता शुक्ला पत्नी श्री राजकुमार शुक्ला	9/70, बहार सहारा स्टेट, जानकीपुरम, लखनऊ।	अध्यक्ष	गृहणी/ समाजसेवा
2	श्रीमती जयन्ती शुक्ला पत्नी श्री पंकज कुमार शुक्ला	603, ग्रा० मालपुर, तह० सण्डीला, जिला हरदोई।	उपाध्यक्ष	गृहणी/ समाजसेवा
3	श्री जितेन्द्र शुक्ला पुत्र श्री राजकुमार शुक्ला	9/70, बहार सहारा स्टेट, जानकीपुरम, लखनऊ।	प्रबन्धक/ सचिव	व्यापार/ समाजसेवा
4	श्री पंकज शुक्ला पुत्र श्री राजकुमार शुक्ला	9/70, बहार सहारा स्टेट, जानकीपुरम, लखनऊ।	कोषाध्यक्ष	व्यापार/ समाजसेवा
5	श्रीमती निमिषा शुक्ला पत्नी श्री जितेन्द्र शुक्ला	9/70, बहार सहारा स्टेट, जानकीपुरम, लखनऊ।	सदस्य	गृहणी/ समाजसेवा
6	श्री सुशील कुमार पुत्र श्री शिवनाथ प्रसाद	8, भरावन उत्तर, तह० सण्डीला, जिला हरदोई।	सदस्य	कृषि/ समाजसेवा
7	श्री जगमोहन पुत्र श्री रूपन	360, ग्रा० मालपुर, तह० सण्डीला, जिला हरदोई।	सदस्य	समाजसेवा

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत समिति का गठन किया है।

दिनांक 22-4-2015

हस्ताक्षर

1. गीता

2. Jayanti

3. जितेन्द्र शुक्ला

4. Pankaj Shukla

5. निमिषा

6. सुशील कुमार

7. जगमोहन



सत्य प्रतिनिधि

वरिष्ठ महायुक्त

नयाँबल डिप्टी रजिस्ट्रार

कानून कोशाध्यक्ष तथा चिट्ठा

संस्था (सं००००) लखनऊ

(Handwritten signature)